न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 82/2023

1. इंडियन बैंक शाखा एम.आई.रोड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रदीप मीणा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स सरस्वती विधा विहार समिति जागीर बांदीकुई (ऋणी)
   पंजीकृत कार्यालय– वार्ड नं.22, बी.एस.एन.एल. ऑफिस के पीछे, मालीपुरा बांदीकुई जिला दौसा
2. श्री मुकुट बिहारी सैनी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सैनी (अध्यक्ष एवं जमानतदार)
   पता–झालानी बगीची के सामने, पटेल निवास बडियाल रोड, वार्ड नं0 20, बांदीकुई जिला दौसा
3. श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी (सैकेटरी, मंत्री, जमानतदार एवं बंधककर्ता)
4. श्री छगन लाल सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी (जमानतदार एवं बंधककर्ता)
   पता–1041 सिकन्दरिया का बास, बांदीकुई जिला दौसा।
5. श्रीमति इन्द्रा सैनी पत्नि श्री लेखराज सैनी (जमानतदार)
   पता–वार्ड न0 23, पंचायत समिति के पीछे, बसवा रोड, सिकन्दरिया का बास, मालीपुरा, बांदीकुई जिला दौसा
6. श्री अनिल कुमार सैनी पुत्र श्री छगन लाल सैनी (जमानतदार)
7. श्रीमती बीना सैनी पत्नि श्री छगन लाल सैनी (जमानतदार)
   पता–वार्ड नं0 22, सिकन्दरिया का बास, बांदीकुई जिला दौसा

...... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 की धारा 14 के अंतर्गत सहायता हेतु प्रार्थना पत्र ।

उपस्थिति : श्री राजकुमार दीक्षित, अधिकृत प्रतिनिधि।

आदेश

दिनांकः 28.2. 2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी इंडियन बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी मैसर्स सरस्वती विधा विहार समिति जागीर बांदीकुई को 4,36,16,000/–(रूपये चार करोड छत्तीस लाख सोलह हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिकृत प्रतिनिधि इंडियन बैंक को सुना गया। हमने प्रार्थी इंडियन बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी इंडियन बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने से उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी/बंधककर्ता को रजिस्टर्ड डाक एवं जरिये समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई बंधक अचल आवासीय संपत्ति भूमि एवं भवन, वार्ड नं0 23, पंचायत समिति कार्यालय के पीछे, बसवा रोड, सिकन्दरिया का बास, मालीपुरा बांदीकुई जिला दौसा राज0 303313 में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 873.88 वर्गगज व 916.77 वर्गगज अर्थात कुल क्षेत्रफल 1790.65 वर्गगज है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी इंडियन बैंक को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:51:42 IST
Reason: SelfAttested